में व्यस्त है। अतः इत्तला होकर
पत्रावली आइन्दा 5/4/22 को पेश हो।

05/4/22 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित
प्रार्थीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को
कोर्ट समन से तीन बार तामील तामील करवाने
चाहे गये। [illegible] [illegible] [illegible] के
विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण के
विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।
वकील प्रार्थी ने बहस सुनी गयी बहस के
[illegible] के विरुद्ध जाकर [illegible] न्यायालय
[illegible] [illegible] [illegible] की पालनार्थ [illegible]
जारी हो। पत्रावली में पालना प्राप्त होने पर
[illegible] की गयी। पत्रावली [illegible] [illegible]
होकर [illegible] इन्द्राज हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:00:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

करण संख्या: 89 / 2021

प्रार्थीगण :–

1. प्रतापसिंह वल्द हेमाराम
   कौम विश्नोई निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. सोनाराम वल्द हेमाराम
2. प्रभुराम वल्द हेमाराम
   कौम विश्नोई निवासी आलपुरा
3. नरींगा वल्द प्रेमा
4. हरजी वल्द प्रेमा
5. हिमता वल्द प्रेमा
6. मगा वल्द प्रेमा
7. पबा वल्द पूनमा
8. देराज वल्द पूनमा
9. समेलाराम वल्द पूनमा
10. भंवराराम वल्द भारूराम
11. हरचंदराम वल्द जवाराराम
12. राणाराम वल्द जवाराराम
    कौम कुम्हार (प्रजापति) निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी
13. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः–

1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. अप्रार्थीगण – अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 05/04/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:00:16 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2076–2078 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा आलपुरा तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 92/2 रकबा 4.7105 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति

में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा आलपुरा तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 92/2 रकबा 4.7105 हैक्टेयर के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 5/4/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:00:16 IST
Reason: SelfAttested